जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / बैठक / 2020 / डी– 386 दिनांकः–01-06-2020

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **152वीं बैठक दिनांकः 29.05.2020 को प्रातः 11.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिंतन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र.सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1	—	152:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 151वीं बैठक दिनांक 16.01.20 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लंबित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत्।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 151वीं बैठक दिनांक 16.01.20 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए एक सप्ताह में लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिए गए।
2	13	152:2	राजकीय महाविद्यालय बस्सी के भवन हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 2.9 में संस्थाओं को महाविद्यालय हेतु सम्भागीय मुख्यालय को छोडकर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्र 13000 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डानुसार न्यूनतम 5 एकड़ भूमि निर्धारित है। अतः उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डानुसार समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजकीय महाविद्यालय बस्सी के भवन हेतु 05 एकड़ भूमि (राजस्व ग्राम–बस्सी, तहसील–बस्सी के खसरा नम्बर 44 रकबा 65.05 बीघा किस्म चरागाह में से 20235.00 वर्गमीटर) का आवंटन निःशुल्क किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।
3	13	152:3	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 33/11 KV ग्रिड सब स्टेशन हेतु राजस्व ग्राम–बस्सी, तहसील–बस्सी के खसरा नम्बर 1630 रकबा 12.10 हेक्टेयर किस्म चारागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार समिति द्वारा विचार विमर्श कर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 33/11 KV ग्रिड सब स्टेशन हेतु राजस्व ग्राम–बस्सी, तहसील–बस्सी के खसरा नम्बर 1630 रकबा 12.10 हेक्टेयर किस्म चारागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 06.08.09 की पालना में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 9.3 के अनुसरण में प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का भी निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशनः {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

4	13	152:4	राजस्थान (आई.एल.डी.)स्किल यूनिवर्सिटी (RISU) को पूर्व में सशुल्क आवंटित भूमि को निःशुल्क आवंटन करने हेतु।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 148 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019 के निर्णय अनुसार राजस्थान आई0एल0डी0 कौशल विश्वविद्यालय को ग्राम–चौप में जविप्रा की नॉलेज सिटी में 97060.63 वर्गमीटर भूमि का आवंटन संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन किया गया था। संस्था ने पत्र दिनांक 28.08.219 द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की है। पी0डब्ल्यू0सी0 की बैठक दिनांक 20.01.2020 के निर्णय अनुसार प्लॉट नम्बर 2 में परिवर्तित नक्शे के अनुसार संस्था को आवंटित स्थल परिवर्तन को अनुमोदन करते हुए संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन निःशुल्क किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।
5	13	152:5	सहायक अभियन्ता (प.व.स.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानोता हेतु राजस्व ग्राम– रामरतनपुरा, तहसील–बस्सी में 33/11 के. वी. जीएसएस निर्माण हेतु राजस्व ग्राम–रामरतनपुरा में आवंटित भूमि का आवंटन घरेलू आरक्षित दर की 50प्रतिशत राशि का आवंटन/मांग पत्र जारी करने बाबत्। (पूर्व में जविप्रा द्वारा एल. पी.सी. की 146वीं बैठक दिनांक 12.09.2018 के निर्णयानुसार डी. एल.सी. दर + 20प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) का आवंटन दिनांक27.09.18 को जारी किया गया था) सहायक अभियंता के पत्र दिनांक 05.11.2018 एवं शासन उपसचिव, न.वि.वि. के परिपत्र दिनांक 06.08.09 के क्रम में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार समिति द्वारा विचार विमर्श कर एल.पी.सी. की 146वीं बैठक दिनांक 12.09.18 के निर्णयानुसार डी.एल.सी. दर + 20प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) का आवंटन दिनांक 27.09.18 को जारी किया गया था। सहायक अभियंता के पत्र दिनांक 05.11.18 अनुसार भूमि का आवंटन घरेलू आरक्षित दर की 50प्रतिशत राशि पर आवंटन चाहा गया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानोता हेतु राजस्व ग्राम–रामरतनपुरा, तहसील–बस्सी में 33/11 के. वी. जीएसएस निर्माण हेतु 2500 व.मी. भूमि का आवंटन नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 06.08.09 की पालना में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 9.3 के अनुसरण में प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
5. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर
6. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
10. उपायुक्त जोन–13 जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
12. उपनिदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
13. रक्षित पत्रावली

(डॉ. गिरीश पाराशर)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

D:\lpc work\152\151karyavahi vivran

पारि.-३५

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 152वीं बैठक दिनांक 29.05.2019 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	एलपीसी में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री टी. रविकान्त	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	
2.	श्रीमती अर्चना सिंह	सचिव	सदस्य	
3.	श्री वी.सी. बुनकर	निदेशक (वित्त)	सदस्य	
4.	श्री वी.एस. सुंडा	निदेशक–अभियांत्रिकी–II	सदस्य	
5.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	अति० आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्री डॉ० गिरीश पाराशर	अति० आयुक्त (एलपीसी) एवं (पूर्व/पश्चिम)	सदस्य सचिव	
8.	श्री राजीव जैन	अति० आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	
9.	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	विशेषाधिकारी (आरएण्डप्र) एवं अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित	
10.	श्री लोकेश गौतम	उपायुक्त, जोन–13	विशेष आमंत्रित	
11.	श्री सीताराम मीणा	उपनिदेशक (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित	
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }